न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 14.5.18 को पेश हो।
	14/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश है। वादी का वाद स्वीकार किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो। वाद तकमील संबंध में वाद है।

Scanned by CamScanner